

should be withdrawn and there should have been consultation with the Opposition Parties and on the basis of the consensus a new Bill should be brought before this House.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: He has raised certain questions of merit and various details. We are at the stage of introduction of the Bill. All these matters can be considered by the House freely at the time when the Bill is taken up for consideration and we shall certainly deal with them, with the question he has raised as to why defections have taken place and so on. Our understanding of the opinion of the House is that the House as a whole has been wanting a Bill of this kind to come before it...

(Interruptions)

MR. SPEAKER: The question is: "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: Sir, I introduce the Bill.

12.08 Hrs.

QUESTIONS OF PRIVILEGE—Contd.
(iii) NON-COMPLIANCE OF THE PROVISIONS OF SECTION 16(2) OF THE INDIAN TARIFF ACT, 1951 BY THE GOVERNMENT

श्री मधुलिमये (बांका): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के मंत्रियों ने पिछले तीन वर्षों में टैरिफ कमीशन कानून की एक महत्वपूर्ण धारा का जो लगातार उल्लंघन किया है, इस सभा के और जनता के अधिकारों पर जो आक्रमण किया है और सदन की जो मान-हानि की है उसका प्रश्न मैं उठाना चाहता हूँ।

इस कानून के खण्ड 16(2) में कहा गया है:

“टैरिफ कमीशन की हर अन्तिम रपट की प्रतिलिपि सरकारी निर्णय के समेत तीन महीनों के अन्दर संसद् के सामने रखनी चाहिए, लेकिन यदि यह रपट नहीं रखी जा सकती है तो उसके कारणों का स्पष्टीकरण

करने वाला वक्तव्य पार्लियामेंट के सामने रखना चाहिए”।

इस कानून ने संसद् को एक बड़ा अधिकार प्रदान किया है और वह है टैरिफ कमीशन की सिफारिशों को प्राप्त करना। यह कमीशन विशेषज्ञों का कमीशन होता है। इनके द्वारा की गई जाँच से उपभोक्ताओं को ऊँचे दामों से राहत मिलती है। दामों को नियन्त्रित न करने से मुद्रा स्फीति और दाम वृद्धि से अर्थव्यवस्था का संकटग्रस्त होना अनिवार्य है।

जब से इस मुल्क ने नकली समाजवाद के रास्ते पर आगे कूच शुरू की श्री ललित नारायण मिश्र के नेतृत्व में विदेश व्यापार मंत्रालय ने टैरिफ कमीशन की सिफारिशों को दबाने का काम शुरू किया। पूंजीपतियों से लाखों लाख रुपया वसूलने का इस कमीशन की रपट एक हथियार बन गया है। इसके एवज में पूंजीपतियों को दाम बढ़ाने की पूरी छूट दी गई, कृत्रिम ढंग से चीजों का अभाव उत्पन्न किया गया छोटे बुनकरों तथा उपभोक्ताओं का खून चूसने का मिलसिला प्रारम्भ हो गया।

व्यापार मंत्रालय ने लोक सभा सचिवालय को मेरे पत्राचार के बाद अन्त में जो जानकारी दी है, उस से साबित होता है कि:

(1) टैरिफ कमीशन की विस्फोट एमिनटेंट फिलामेंट और स्टेपल फाइबर की रपट सरकार को 1970 के शुरू के दिनों में प्राप्त हुई। मगर आज तक न इस को सदन के सामने रखा गया है और न ही रखने के कारण बताये गए हैं;

(2) सिन्थेटिक फाइबर रपट 1970 के सितम्बर महीने में सरकार को दी गई। आज तक वह रपट न प्रकाश में आई है और न ही इसको न रखने के कारण कभी लोक सभा को बताये गये हैं;

(3) स्टेपल फाइबर यार्न रपट सरकार को अगस्त, 1972 में मिली। वह भी इसी तरह दबाई गई है;

(4) जूट के विभिन्न सामानों के बारे में दी गई रपट के बारे में भी पालियामेंट और जनता को अंधेरे में रखा गया है ;

(5) चीनी सम्बन्धी टैरिफ कमीशन की रपट 1969 में सरकार के पास आई। अब चार साल पूरे हो रहे हैं, परन्तु उस रपट को सदन के सामने रखने की सद्बुद्धि अभी तक खाद्य मंत्रालय को नहीं हुई है ;

(6) डाल्डा वनस्पति सम्बन्धी रपट 1971 के मध्य में आई। इस मंत्रालय ने इस को भी दबा दिया है ;

(7) लायनोलियम सम्बन्धी रपट 1971 के मध्य में सरकार के पास आई। उस को भी सदन के सामने अभी तक प्रकट नहीं किया गया है और न ही इस की वजह बताई गई है ;

(8) सिन्थेटिक रबर वाली रपट अगस्त 1971 में सरकार को प्राप्त हुई। उस की भी यही दुर्गति हुई है।

अभी यह स्पष्ट है कि कृत्रिम धागा, वनस्पति, कृत्रिम रबर और चीनी, यही चीजें ऐसी हैं, जिन के दामों में भयंकर वृद्धि हुई है और जिन पर करोड़ों-अरबों रुपया बनाया गया है। पूंजीपति, नौकरशाही तथा मंत्रियों ने मिलकर इस लूट में भागीदारी की है।

उपभोक्ता इस चक्की में पीसा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप ने जो टैकनिकल एतराज उठाया है, आप सिर्फ उसी के बारे

में बता दें। फिर मिनिस्टर साहब इस का जबाब देंगे।

श्री मधु लिख्ये : अध्यक्ष महोदय, मैंने आप को लिख कर दिया है कि मैं इस मुद्दे को क्यों उठा रहा हूँ। आप ने कहा कि मैं इस लिखित स्पष्टीकरण में से एक शब्द काट दूँ। मैंने उस को हटा दिया है, हालाँकि वह शब्द अशिष्ट और असंसदीय नहीं था। आप मुझे इस को पढ़ने दीजिए।

श्री ललित नारायण मिश्र से प्रेरणा पा कर इन मंत्रालयों ने भारत को मुनाफाखोरी, लूट और घूस का नन्दन-व्रत बना दिया है।

समूह के अधिकारों का, और लोकहित का जानबूझ कर दिया हुआ यह अतिक्रमण 1971 के इन के पाशवी बहुमत का मोधा नतीजा है। क्या यही दिन देखने के लिए, अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों नौजवानों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान तक कुर्बान की ?

दो सौ बड़ी औद्योगिक कम्पनियों के तौलनिक अध्ययन से पता चलता है कि इन की औसत पूंजी पर 10.9 प्रतिशत, बिक्री का 11.3 प्रतिशत और अपनी मिल्कियत की पूंजी, ओन्ड कैपिटल, पर 10.9 प्रतिशत नेट मुनाफा हुआ।

परन्तु नायलन धागा बनाने वाले पाँच बड़े उत्पादकों ने, टैरिफ कमीशन सम्बन्धी आदेशात्मक धारा का विदेश मंत्रालय द्वारा जो उल्लंघन किया गया था, उस का फायदा उठा कर अमाप मुनाफा कमाया।

1971-72 के मुनाफे

कम्पनी का नाम	पूँजी पर ग्राम प्राफिट	कुल बिक्री का प्रतिशत	ओन्ड पूँजी का प्रतिशत
जे० के० सिन्थेटिक्स	21.6	34.3	32.8
मोदीपान	23.3	38.6	21.1
निरलोन सिन्थेटिक्स	10.9	18.3	14.5
गरवारे नायलन्स	22.6	46.8	17.6
सैंचरी एंका	28.7	56.2	31.1

किसी भी उद्योग में इस तरह के मुनाफे नहीं मिल रहे हैं, जो कृत्रिम धागा पैदा करने वाले इन उत्पादकों को मिल रहे हैं। इन आंकड़ों में कम्पनियों का जो चोरी के खाते का, वी० एकाउन्ट का मुनाफा है, उस का शुमार नहीं है। एक कैबिनेट के मंत्री ने, जिस का नाम मैं नहीं बताऊंगा, मुझे कहा कि इन के वार्षिक रपट में जो मुनाफा बतलाया गया है, उस से भी अधिक उन का चोर बाजारी का मुनाफा है।

1971-72 में इन पांच कम्पनियों का बांणित मुनाफा इस प्रकार था :

कम्पनी का नाम	कुल मुनाफा
जे० के० सिन्थेटिक्स	8.42 करोड़
मोदीपान	4.67 करोड़
निरलोन सिन्थेटिक्स	2.07 करोड़
गरवारे	1.84 करोड़
सेंचरो एंका	2.82 करोड़

यह यदि रखना चाहिए कि इस वक्त जे० के० सिन्थेटिक्स के सिद्धानिया और मोदीपान के गुजरमल मोदी पर सरकार मेहरबान

है। श्री मोदी को सरकार ने कुछ साल पहले "पद्मभूषण" की पदवी बहाल की थी। इन्होंने माशति लिमिटेड में पूंजी लगाई है। इन्होंने सत्ताधारी दल को अमाप चन्दा दिया है। इसमें से मंत्रियों ने कितना रखा यह उन का भगवान ही जाने।

सरकारी कृपाछत्र में जे० के०, मोदीपान आदि गैरकानूनी ढंग से अपनी पैदावार की शक्ति, इनस्टाल्ड कैपेस्टी, को बढ़ा कर नये और छोटे लोगों को मैदान से हटा रहे हैं। मोदीपान की प्रतिदिन उत्पादन-शक्ति 6 टन से 12 टन हो गयी है जे० के० सिन्थेटिक्स की उत्पादन-शक्ति 6 टन से बढ़कर 14 टन हो गयी है। इस विस्तार से इनकाफो-यूनिट उत्पादन का खर्चा घटा है। मगर क्या इन्होंने धागे का दाम कम किया? नहीं। इन्होंने दामों को और बढ़ाया।

टैरिफ कमीशन की रपट प्रकाश में लाने से इन कम्पनियों का "दाम बढ़ाओ" आन्दोलन बड़ा तेज हो गया है। इन के फ़र्जी दाम सम्बन्धी समझौते के बावजूद दाम राकेट की तरह आसमान को छू रहे हैं। निम्न आंकड़ों से यह बात साफ हो जाती है :

डेनियर	समझौते के अन्तर्गत दाम	31 मार्च के वास्तविक दाम	14 अप्रैल के वास्तविक दाम	24 अप्रैल के वास्तविक दाम
15	74.00	90.00	110.00	105.00
20	70.00	77.00	89.00	91.00
40/10 एस० डी०	62.00	67.00	78.00	80.00
76/20 एस० डी०	60.00	68.00	77.00	76.00

[श्री मधु लिमये]

पार्लियामेंट के वानूनी अधिकारों का उल्लंघन पूरे सदन की मानहानि है। कल की तरह इसमें मंत्रियों की माफ़ी से काम नहीं चलने वाला है। वानून मंत्री का अपराध तान्त्रिक था। उन्होंने रिपोर्ट्स को लाइब्रेरी में रखा, सभा-घर पर नहीं रखा। लेकिन इस मामले में जान-बूझ कर संसद का अपमान किया गया है और जनहित की हानि की गई है। इस मामले की जांच करने के लिए आप एक विशेष समिति का गठन कीजिए, जैसे इंग्लैंड में होता है, या आप स्वयं नियम 227 के तहत यह प्रश्न प्रिविलेजिज कमेटी के पास भेज दीजिए।

यह प्रश्न सत्ता कांग्रेस बनाम विरोधी दल का नहीं है। यह कार्यपालिका के संसद के अधिकारों पर आक्रमण का सवाल है। सत्ताधारी दल के मेरे जो बुजुर्ग और नौजवान मित्र हैं, इस में उनको भी उतनी ही दिलचस्पी लेनी चाहिए, जितनी मैं ले रहा हूँ।

विशेषाधिकार समिति में सत्ताधारी दल का बहुमत है ही। इस लिए इन को बिल्कुल चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि विशेषाधिकार समिति दलीय द्वेष से प्रेरित हो कर काम करेगी।

उपरोक्त टैरिफ कर्मिणन की रपटों को अपने कार्य-काल में सदन के सामने न रखने के मामले में विदेश व्यापार मंत्रालय के, जो अब व्यापार मंत्रालय है, खाद्य मंत्रालय के तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय के जो भी मंत्री दोषी हैं, उन सब के खिलाफ़ नियम 225 के तहत मान-हानि भंग का मेरा सुझाव है।

THE MINISTER OF COMMERCE
(PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA):

Sir, the hon. member has made some statements of facts and some statements of opinion. In his statements of opinions, he has levelled some grave and unfounded allegations and some insinuation has also been made. That part I strongly deny and repudiate. But about the statement of facts I would submit what he has stated is

absolutely correct as a matter of record. It is also true that as per the provisions of the Tariff Commission Act the reports of the Commission had to be laid on the Table of the House within three months failing which the reasons for non-compliance have to be submitted. I am sorry to say that it has not been done, and it could not be done in some cases. But I also like to add that out of the seven reports submitted by the Tariff Commission in the period referred to by the hon. Member, four have already been laid on the Table of the House and only three could not be laid. It is also true, as he has stated, that they refer to viscose, acetate filament and staple fibre, synthetic fibre, staple fibre and spun yarn.

I also agree with the hon. Member that the price structure of these yarns show a lot of distortion and in some cases, to my mind, unjustifiable price rise. So, the Reports of the Commission deserve a consideration in depth. As you will find, the different reports submitted by the Commission pertain to different Ministries. So, they have to be looked into not by one Ministry, they have to be decided upon in consultation with various Ministries. So, time has been taken and it has been found that, because of the passage of time, some new factors have emerged. These factors have to be taken into account for a re-calculation and re-fixation of rational prices.

I can only say that the provisions of the law could not be complied with, and we are extremely sorry for that. I must express my unqualified regret for that before the House. The distortion and the unjustifiable price rise that has taken place will be remedied and rectified and a rational price structure will be introduced.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे कल विवाद और बहस टालने के लिए आपने स्वयं नियम 227 के तहत मामला प्रिविलेजिज कमेटी में भेजा वैसे ही इसको भी भेजें। . . . (व्यवधान)

श्री मुहम्मद जमीलु रहमान (किशनगंज) : अपने दोस्त उनठनिया कम्पनी का नाम नहीं लिया . . .

श्री मधु लिमये : कोई मेरा दोस्त नहीं है मैं इनको चुनौती देना चाहता हूँ . . (व्यवधान) . . .

अध्यक्ष महोदय, सबाल सीधा सा है कि क्या 227 के तहत बिना इस सदन में विवाद किए मामला भेजा जायगा।

MR. SPEAKER: The Minister has expressed regret. What more is required? The reference to the Committee cannot be done every time.

श्री मधु लिमये : यह तार्किक गलती नहीं है।

I have made a *prima facie* case.

MR. SPEAKER: Even yesterday when we dealt with this matter, when the Minister who did not lay it on the Table in time expressed regret, we accepted it.

श्री मधु लिमये : मैं इनका खेद स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। यह कोई टैकनिकल लैप्स नहीं है। आप मुझे सदन की अनुमति माँगने की इजाजत दीजिए। . . . (व्यवधान) . . . मैं वह नहीं मान रहा हूँ। मैं अनुमति माँग रहा हूँ 225 के तहत।

MR. SPEAKER: The Minister has accepted the mistake and regretted it. What more do we want?

श्री मधु लिमये : आप अस्वीकार कर रहे हैं क्या? मुझे आपका निर्णय चाहिए। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। . . . (व्यवधान) . . . गोखले साहब ने कम से कम लाइब्रेरी में रखा था। यहाँ पर तो बिलकुल नहीं रखा गया है।

MR. SPEAKER: I think we should accept his regret. So far as the instructions are concerned, the necessary instructions must be issued. So far as the price structure and other matters referred to in the report are concerned, they can be discussed here. So far as the procedural, technical or legal point of not laying it on the Table within the allotted time is concerned, he has expressed regret. Do we not accept that and say that in future it should not recur? I wonder what he has mentioned in his speech can form part of this motion. The Privileges Committee has just to say whether it is wrong or not. The Minister himself has accepted it and we accept it.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह टैकनिकल लैप्स नहीं है, आप मुझे अनुमति माँगने की इजाजत दीजिए।

I have made out a *prima facie* case.

MR. SPEAKER: There is no question of privilege.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA (Begusarai): May I submit that this deserves structures from the chair because the lack of presentation of this particular report has affected vitally the economy of this country?

MR. SPEAKER: If you want structures, I strongly disapprove of it. The Minister has now expressed his regret. I accept it. I am not going to tolerate it in future.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, माफ कीजिएगा। आप इस में सदन की कार्यवाही ठीक तरह से चलने दीजियेगा। यह तार्किक गलती नहीं है। आप मुझे इजाजत दीजिए। नियम 225 के तहत . . . (व्यवधान) . . .

MR. SPEAKER: He has expressed his regret. What else do you want? I have not given my consent.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं उनके खेद को नहीं मान रहा हूँ। आप मुझे इजाजत दीजिए।

MR. SPEAKER: I am not holding it in order. I am not giving my consent. (Interruptions)

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): We are debating price-rise every day. Mr. Madhu Limaye has mentioned things which add fuel to the fire. I am not talking about the Minister who has recently taken over charge of the Ministry. I am talking about the Minister who has been in-charge of the portfolio and who has been hand in glove with big business . . . (Interruptions) This is a very serious matter. This should be referred to the Privileges Committee.

MR. SPEAKER: After the regret, I am not going to do it. (Interruptions)

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Yesterday's case and today's case

[Shri Madhu Dandavate.]

are different. In yesterday's case, the reports were laid. Here, that was not done. Therefore, this is really a wilful breach of privilege. The provisions which are already there on the basis of the rules should not be violated. He should be allowed to take the leave of the House ... (Interruptions)

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि कोई टेकनिकल लैप्स होता तो मैं मान लेता। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? 4 तारीख से कई बार पत्राचार हुआ है इसके बारे में। मैंने जल्दबाजी में कोई कार्यवाही नहीं की है। आप मेहरबानी करके मुझे इजाजत दीजिए अनुमति माँगने की। ... (व्यवधान)

मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूँ। अगर इनको इसको पराजित करना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन सदन के सुपुर्द आप इस मामले को कीजिए। यह टेकनिकल लैप्स नहीं है, मैं इनको माफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने प्राइमफेसी केस बनाया है। आप पराजित कर दीजिए, आपको अधिकार है। मैं इस पर निर्णय चाहता हूँ। मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूँ।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : The hon. Member has tried to reveal some hidden dimensions of the delay. He has tried to establish a *prima facie* case that this delay has resulted in national loss and has caused damage to the Indian economy ... (Interruptions)

MR. SPEAKER : If the House wants to discuss any other thing, they are open to discuss it. So far as this legal matter is concerned, that it was not laid within 3 months, he has owned it. He has apologised it. I put it to the House, whether they accept it, and I heard, they accepted it. (Interruptions)

SHRI SAMAR GUHA : The matter was not placed before the House ... (Interruptions)

MR. SPEAKER : I am sorry; I am not allowing it.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : I would like to draw your attention to the

difference in what happened yesterday and what happened today. What has happened today is that as a result of the non-presentation of this report, a considerable damage has been done to the Indian economy. Therefore, this cannot be considered as an aberration or a temporary aberration or a forgetfulness or a technical offence for which an apology would be merely enough. We feel that because it has caused such considerable damage to the Indian economy, there was a wilful and deliberate lapse in not presenting it.

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर डिस्कशन कर सकते हैं।

श्री मधु लिमये : आप हर चीज शार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में खत्म कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग टर्म ड्यूरेशन डिस्कशन कीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैं श्री मधु लिमये जी से इस हद तक सहमत हूँ कि कानून के हिसाब से ये रिपोर्टें सदन के सामने आनी चाहिए थीं। मंत्री महोदय ने इसका उल्लंघन किया है, वह दोषी हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने बिना शर्त माफी माँगी है। श्री लिमये को यह भी कहना है कि इन रिपोर्टों के पेश न किये जाने से काफी गड़बड़ियाँ हुई हैं, वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, मंत्री महोदय के साथ निर्माताओं का गठबन्धन रहा है। मुझे लगता है कि यह मामला गम्भीर है, लेकिन यह प्रिवलेज का मामला नहीं है, इस पर अलग से चर्चा करने का मौका दीजिये।

श्री मधु लिमये : आप क्या कहते हैं -- पार्लियामेंट के अधिकार भंग होते हैं और आप कहते हैं कि मानहानि भंग का मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जैसा वाजपेयी जी ने कहा है कि इस पर बहस होनी चाहिए, उस में मुझे कोई एतराज नहीं है, आर बहस कीजिए, उसके लिये टाइम फिर कर देंगे। जहाँ तक प्रिवलेज का क्वाल है वह मामला खत्म हो गया है।

PROF. MADHU DANDAVATE : Is it your ruling that no privilege is involved? (Interruptions)

MR. SPEAKER : If you want to discuss the other matters, I have no objection. You can discuss in the House. I will allow it.

PROF. MADHU DANDAVATE : Is it your ruling that no contempt is involved here?

MR. SPEAKER : You can discuss in the House. But so far as privilege is concerned that matter is over with the regret.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इसमें विवाद का मवाल नहीं है। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। आप व्यवस्था सुने बिना कैसे आगे चलेंगे। मैं जो मुद्दा उठाऊँगा, आप उस पर निर्णय दीजिए। मैं आप की अनुमति लेकर बोलता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूँ, वह मेरी कमेंट से है। मैं कमेंट नहीं दे रहा हूँ।

श्री मधु लिमये : आप पहले सुन लीजिये, तभी तो निर्णय देगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है, उस को पढ़ने की क्या जरूरत है।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय नियम 225 इस प्रकार है :—

"The Speaker, if he gives consent under rule 222 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto."

अब मेरा प्रश्न इस प्रकार है—क्या मैंने यह साबित नहीं किया है कि सदन के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और जब सदन के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इस को सदन की मानहानि, कन्टेम्प्ट कहा जाता है—मेज पार्लियामेन्टी प्रेक्टिस के अनुसार—आप पहला निर्णय इसके बारे में दीजिए।

दूसरा प्रश्न—जब आपने इस मामले को उठाने दिया तो इन्होंने माफी माँगी। मैं भी उस माफी को मान लेता, यदि यह एक टैक्निकल बात होती। जब उस से अर्थ-व्यवस्था खराब हुई है, दामों में वृद्धि हुई है तो यह कोई मामूली बात नहीं है—इसलिये आप इन दोनों मुद्दों पर निर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कन्टेम्प्ट नहीं है, मैं आप को इजाजत नहीं दूँगा। जैसा मैंने कल सुना था, वैसा ही आज सुना है, जैसे कल एपालाजी एक्सेप्ट की थी, वैसा ही आज भी की है। मैंने आपको मौका दिया है, मैंने कोई कन्टेम्प्ट नहीं दी है।

I am not giving my consent to it.

So far as the other matter is concerned, it is finished when he has expressed the apology.

यह दूसरा मामला भी आप का है।

MATTERS UNDER RULE 377

श्री मधु लिमये (बोका) : उठाने की फायदा ही क्या है, जब हर चीज इसी तरह से खत्म की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : दो-तीन दिन पहले पश्चिमी बंगाल के सहयोगी आन्दोलन के कुछ नेता हम लोगों के पास आये थे और उन्होंने कहा कि सहयोगिता के ऊपर पश्चिमी बंगाल की विधान सभा ने जो विधेयक पास किया है, उस विधेयक की तीन धारयाँ ऐसी हैं जिनके चलते स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, और गैर-सरकारी (नान-आफिशियल) सहयोगी आन्दोलन का सारी दुनिया में जो स्वरूप है, वह इन तीन धाराओं के चलते खत्म होता है। इसलिये उन्होंने हमसे प्रार्थना की कि हम लोग सदन में यह मवाल उठाये।

अब आप पूछियेगा कि यह तो राज्य का मामला है, इस सदन में कैसे उठेगा? यह